कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.07.2024

विषयः- **"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया मे एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित प्रत्येक अभियुक्त/अभियुक्तागण को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व कुल 9000-9000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा।**

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0448/2013 धारा 323, 504,506,412 भा0द0वि0 व 3(1),(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- वीरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता, 02- उर्मिला देवी पत्नी वीरेन्द्र गुप्ता व 03- संगीता गुप्ता पुत्री वीरेन्द्र गुप्ता समस्त निवासीगण- अवलेशपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 20.07.2024 को माननीय न्यायालय स्पे0 जज एस0सी0/एस0टी0 एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त प्रत्येक अभियुक्तगण 01- वीरेन्द्र गुप्ता, 02- उर्मिला देवी व 03- संगीता गुप्ता को अंतर्गत धारा 323,34 भा0द0वि0 मे 6-6 माह के साधारण कारावास व 500-500/- रु0 के अर्थदण्ड से, प्रत्येक को धारा 504 भा0द0वि0 मे 6-6 माह के साधारण कारावास व 500-500/- रु0 के अर्थदण्ड से, प्रत्येक को धारा 506 भा0द0वि0 मे 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व 1000-1000/- रु0 के अर्थदण्ड से, प्रत्येक को धारा 412 भा0द0वि0 मे 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000-5000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा प्रत्येक को धारा 3(1),(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट मे 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व 2000-2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।